न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–135/2016–17 **अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0**

प्रेमशंकर पुत्र स्व0 बलदेव प्रसाद, निवासी– मोहल्ला कंदवा चितईपुर वाराणसी, हाल ग्राम मौजा जौंक, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी असंगानन्द सरस्वती शिष्य ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर स्वामी शुकदेवानन्द जी सरस्वती, ग्राम मौजा जौंक, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

उपस्थित : **श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।**

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : **श्री त्रिभुवन नाथ सिंह।**

अधिवक्ता प्रतिपक्षी : **श्री कुलदीप अग्रवाल।**

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, गढ़वाल द्वारा निगरानी संख्या–01 वर्ष 2016 स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी असंगानन्द सरस्वती शिष्य ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर स्वामी शुकदेवानन्द जी सरस्वती पौड़ी गढ़वाल बनाम प्रेमाशंक पुत्र स्व0 बलदेव प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 16–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट परमार्थ निकेतन द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती शिष्य ब्रहमलीन स्वामी धर्मानन्द सरस्वती निवासी–परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम पौड़ी गढ़वाल ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 (जिसे काट कर वाद में –33/34 भू0रा0अधि0 किया गया है) इस आशय का प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट के मूल संस्थापक/रचयिता ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज शिष्य ब्रहमलीन स्वामी एकरसानन्द सरस्वती जी महाराज के नाम कब्जे की ग्राम–जोंक, पट्टी–उदयपुर तल्ला–1 जिला पौड़ी गढ़वाल के खसरा नं0–109, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ,95, 96, 98, 99 की 3.2050 हे0 तथा खसरा नं0–110, 160 तथा 161 की 1. 7540 हे0 भूमि परमार्थ निकेतन के रूप में चली आ रही थी, कि इस समस्त भूमिधरी भूमि 4.9590 हे0 पर इस आश्रम की स्थापना ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर जी महाराज ने 1942 में कर ली थी, कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 19–06–1962 को ''स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट'', परमार्थ निकेतन के नाम से स्थापना की थी तथा ट्रस्ट डीड को नियमानुसार पंजीकृत करवा दिया था, कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज संस्थापक की हैसियत से उक्त ट्रस्ट के प्रथम

आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी बन गये थे, कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज ने ट्रस्ट डीड में यह व्यवस्था की थी कि ट्रस्ट की सम्पत्ति मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम पर रहेगी/रह सकेगी, कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपनी उक्त खसरा नम्बरान की समस्त सम्पत्ति अपने जीवनकाल में ही उक्त ट्रस्ट को अर्पित कर दी थी तथा 1960 में ही स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट उपरोक्त समस्त भूमि/सम्पत्ति जो परमार्थ निकेतन के रूप में थी का स्वामी हो गया था, कि उप जिलाधिकारी, लैंसडौन के आदेश दिनांकित 04–10–1982 के द्वारा प्रार्थी ट्रस्ट ने ट्रस्ट के कब्जे/स्वामित्व वाली समस्त भूमि की नामजोख करवाई थी तथा नक्शा व रिर्पोट दिनांकित 30–10–1982 तैयार करवाई थी एवं कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज दिनांक 18–07–1965 को ब्रहमलीन हो गये थे, कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज के नाम की उक्त खसरा नम्बरान 109, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 84, 95, 96, 98 तथा 99 की समस्त भूमि खसरा भूमि प्रार्थी ट्रस्ट के नाम पर दर्ज हो गई है लेकिन राजस्व भूल के कारण खसरा संख्या–110, 160 तथा 161 की 1.7540 हे0 भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज होने से रह गई है तथा राजस्व अभिलेखों में स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है। तद्नुसार प्रार्थना की गई कि ब्रहमलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज के नाम दर्ज चली आ रही खसरा संख्या–110, 160 तथा 161 की 1.7540 हे0 भूमि बदर दुरूस्ती के जरिये प्रार्थी ट्रस्ट के नाम दर्ज करने की कृपा की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने तहसीलदार, कोटद्वार/यककेश्वर से आख्या अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–06–2007 को आदेशित किया। तहसीलदार, यमकेश्वर ने प्रश्नगत मामला धारा–33/39 के अन्तर्गत न आने तथा धारा–34 के अन्तर्गत कार्यवाही पंजीकृत किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, कोटद्वार को दिनांक 29–06–2007 को आख्या प्रस्तुत की जिसपर सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने दिनांक 03–07–2007 को प्रकरण धारा–34 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। विद्वान तहसीलदार ने तद्नुसार इश्तिहार जारी किया एवं नियत समय के अन्दर कोई आपत्ति न प्राप्त होने पर नामान्तरण आदेश दिनांक 28–02–2009 पारित किया। आदेश दिनांक 28–02–2009 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण/आपत्तिकर्ता ने आदेश का ज्ञान दिनांक 05 जून, 2016 का उल्लेख करते हुए एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र एवं धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र से तहसीलदार, यमकेश्वर के समक्ष दिनांक 20–06–2016 को प्रस्तुत किया। विद्वान तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनने के उपरान्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए दिनांक 03–09–2016 को स्वीकार किया तथा पूर्व नामान्तरण आदेश दिनांक 28–02 –2009 का प्रभाव अगली तिथि तक स्थगित किया। आदेश दिनांक 03–09–2016 के विरूद्ध उत्तरदाता/नामान्तरण प्रार्थी द्वारा कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल के समक्ष

दिनांक 30–0.9–2016 को एक निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 16–12–2016 से स्वीकार किया। इसी आदेश दिनांक 16–12–2016 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने दिनांक 10–04–2017 को प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को उनके अनुरोध पर सुना एवं दिनांक 21–04–2017 को निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि स्वामी शुकदेवानन्द व्यक्तिगत रूप से वादग्रस्त भूमि के भूमिधर थे जो 17–06–1965 को ब्रहमलीन हो गये, कि शुकदेवानन्द ने निगरानीकर्ता के पक्ष में वसीयत की थी एवं पटवारी की रिपोर्ट में वसीयत का उल्लेख है, कि आलोच्य कार्यवाही धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरस्ती प्रार्थना पत्र के रूप में प्रारम्भ हुई परन्तु उसे बाद में धारा–33/34 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया गया जबकि याचित अनुतोष परिवर्तित नहीं किया गया, कि वादग्रस्त भूमि कथित ट्रस्ट को नहीं समर्पित है एवं निगरानीकर्ता उस पर अध्यासित है, कि तहसीलदार द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 28–02–2009 की जानकारी 05 जून, 2016 को ही हो पाई एवं 20 जून, 2016 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, कि उत्तरदाता ने अधीनस्थ न्यायालयों में धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि का अकृषक घोषित किये जाने के आधार पर भू–राजस्व अधिनियम का लागू न होने का अभिवाक प्रस्तुत किया था जो कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर से असत्य सिद्व हुआ है, कि नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित होने से उत्तरदाता का अहित नहीं होता है क्योंकि गुणदोष के आधार पर कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक है, कि विद्वान तहसीलदार के समक्ष विलम्ब का पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया है, कि 07 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के सापेक्ष उत्तरदाता का दुरस्ती/नामान्तरण प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में 42 वर्ष 08 माह 13 दिन के बाद प्रस्तुत हुआ है तद्नुसार विलम्ब उत्तरदाता द्वारा किया गया है, कि तहसीलदार द्वारा पारित पुनर्स्थापन आदेश दिनांक 03–09–2016 अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है, कि निगरानीकर्ता को वसीयत के आधार पर आलोच्य कार्यवाही में न्यायाधिकार (locus standi) प्राप्त है एवं कि निगरानीकर्ता को 229बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है विपरीत इसके स्वंय उत्तरदाता को उक्त उपचार प्राप्त करना चाहिए।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता आलोच्य नामान्तरण की कार्यवाही में एक अजनबी (stranger) है जिसे कोई न्यायाधिकार (locus standi) नहीं प्राप्त है, कि नामान्तरण आदेश दिनांक 28–02–2009 एकपक्षीय आदेश नहीं है अतः निगरानीकर्ता को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है, कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र में साढ़े सात वर्ष के विलम्ब

का पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है, कि वर्तमान निगरानी पोषणीय नहीं है क्योंकि विद्वान कलेक्टर ने प्राप्त क्षेत्राधिकार का विधिवत प्रयोग किया है एवं आक्षेपित आदेश किसी भी विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित नहीं है एवं कि नामान्तरण की कार्यवाही में स्वत्व के गूढ़ प्रश्नों का विनिश्चयन नहीं हो सकता है।

सर्वप्रथम धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नामान्तरण प्रार्थना पत्र में परिवर्तित किये जाने की वैद्यता का बिन्दु देखा जाना है। जैसा कि इस निर्णय के पूर्व भाग में सविस्तार उल्लिखित है कि मूल प्रार्थना पत्र धारा–33/39 में प्रस्तुत हुआ था जिसे कालान्तर में धारा–33/34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत ग्रहण किया गया। धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरण सूचना दिये जाने की व्यवस्था है। यह सूचना सम्बन्धित पक्ष द्वारा दी जा सकती है अथवा लेखपाल/पटवारी द्वारा भी दी जा सकती है। चूँकि नामान्तरण की कार्यवाही राजकोषीय कार्यवाही है अतः सम्बन्धित तहसीलदार इसका स्वंय भी संज्ञान ले सकते हैं। आलोच्य प्रकरण में धारा–33/39 के प्रार्थना पत्र को धारा–33/34 के प्रार्थना पत्र के रूप में ग्रहण किया गया जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि धारा–34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई स्वरूप/प्रारूप नहीं निर्धारित है। मैं तद्नुसार निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एतद्सम्बन्धी तर्क को निर्मूल पाता हूँ।

दूसरा बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरदाता द्वारा वादग्रस्त भूमि पर भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधान लागू न होने सम्बन्धी बिन्दु उठाया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आलोच्य कार्यवाही उत्तरदाता के ही अनुरोध पर चली है एवं जैसा कि निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस सम्बन्ध में धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत की गई कथित घोषणा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अतः यह बिन्दु निरर्थक है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधान जमींदारी विनाश अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम से आच्छादित दोनों प्रकार की भूमि पर लागू होते हैं।

तीसरा बिन्दु यह है कि निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि में आवश्यक पक्षकार है अथवा नही। इस सम्बन्ध में मूल वाद पत्रावली में प्रस्तुत संगत खतौनी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में निगरानीकर्ता सहखातेदार नही है न ही वह सम्बन्धित ग्राम का निवासी है। निगरानीकर्ता ने स्वंय को स्वामी शुकदेवानन्द का निजी सेवक/भक्त होने के आधार पर स्वंय को उसका एकमात्र उत्तराधिकारी बताया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रथमदृष्टया प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया है। स्वामी शुकदेवानन्द के असंख्य भक्त एवं सेवक हो सकते है परन्तु मात्र इस आधार पर उसे स्वामी शुकदेवानन्द का उत्तराधिकारी नही माना जा सकता है। यहाँ तक कि अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा उसके पक्ष में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जिस लिखित तहरीर के आधार पर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसी कोई लिखित तहरीर अथवा उसकी प्रमाणित प्रति अवर

न्यायालय में प्रस्तुत ही नही की गई है और न ही कलेक्टर, पौड़ी के समक्ष प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई के दौरान ही ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई तहरीर/वसीयत निगरानीकर्ता के पक्ष में की गई तो यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 1965 से अब तक नामान्तरण सूचना सम्बन्धित तहसीलदार को धारा–34/35 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत क्यों नही दी गई ?

स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती के नाम दर्ज खसरा नं0–109, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 पूर्व ही ट्रस्ट के नाम दर्ज हो चुकी थी जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा तत्समय कोई आपत्ति दर्ज नही की गई। आलोच्य प्रकरण में मात्र खसरा नं–110, 160 व 161 जो कि ट्रस्ट के नाम अंकित होने से छूट गये थे के सम्बन्ध में ही ट्रस्ट द्वारा नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। यदि निगरानीकर्ता स्वामी शुकदेवानन्द का एकमात्र उत्तराधिकारी स्वंय को समझता है तो उसने खसरा नम्बर 109, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 के सम्बन्ध में स्वंय के नामान्तरण हेतु कोई चाराजोई पूर्व में क्यों नहीं की गई स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त कथित तहरीर/वसीयत यदि है तो यह निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिधर स्वामी शुकदेवानन्द की मृत्यु वर्ष 1965 में हो चुकी थी तद्नुसार स्वाभाविक है कि यदि निगरानीकर्ता के पक्ष में कोई तहरीर लिखी गई हो तो वह वर्ष 1965 से पूर्व ही लिखी गई होगी। वर्ष 1965 के पश्चात् वर्ष 2016 में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक एवं अद्यतन निगरानीकर्ता द्वारा कथित लिखित तहरीर के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ न किया जाना स्वतः में निगरानीकर्ता के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं नामान्मरण आदेश पर आपत्ति के आधार को संदेहास्पद बनाते है। ये स्थितियां निगरानीकर्ता को आलोच्य नामान्तरण कार्यवाही में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अथवा आपत्ति करने से विवंधित (estopped) करती है क्योंकि वह अपने पूर्व आचरण से स्वीकार/मूक सहमति व्यक्त कर चुका है कि स्वामी शुकदेवानन्द की व्यक्तिगत रूप से धारित भूमि ट्रस्ट को न्यासगत की जा चुकी है।

निगरानीकर्ता प्रश्नगत ट्रस्ट का न तो सदस्य है न वह उसके प्रबन्धन से कोई सम्बन्ध रखता है। तद्नुसार वह ट्रस्ट के प्रयोजनार्थ नितान्त अजनबी (stranger) है। तद्नुसार वह मूल नामान्तरण की कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार नहीं था। इस प्रकार पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28–02–2009 निगरानीकर्ता के सापेक्ष एकपक्षीय आदेश नहीं है। इस विधिक/तात्विक स्थिति के दृष्टिगत उसे विद्वान तहसीलदार के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना प्रस्तुत करने का न्यायाधिकार (locus standi) नहीं प्राप्त था। तद्नुसार पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकारणीय नहीं था। विद्वान कलेक्टर ने यद्वपि पुनर्स्थापन प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का पर्याप्त कारण न होने के आधार पर अपने समक्ष प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विद्वान तहसीलदार, यमकेश्वर का पुनर्स्थापन आदेश 03–09–2016 अपास्त किया है परन्तु उपरिवर्णित स्थिति के दृष्टिगत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता को प्रकरण में न्यायाधिकार

(locus standi) प्राप्त न होने के आधार पर अस्वीकृत होता था। तद्नुसार भी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी स्वीकारणीय थी। फलस्वरूप यह निगरानी स्वीकारणीय नही है।

यदि निगरानीकर्ता के पक्ष में वास्तव में कोई वसीयत/तहरीर है जिसका प्रभाव वादग्रस्त भूमि उसे अन्तरित होने, के रूप में होता है तो वह स्वयं नामान्तरण सूचना अब भी विधिवत प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। यह सही है कि उसे धारा–229बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा प्राप्त करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

जंहा तक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में विलम्ब का पर्याप्त कारण न प्रस्तुत किये जाने के आधार पर पुनर्स्थापन आदेश कलेक्टर, गढ़वाल द्वारा निरस्त किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में विद्वान कलेक्टर, गढ़वाल ने अपने आदेश में सविस्तार चर्चा की है एवं उच्चतर न्यायालयों की न्याय व्यवस्थाओं का सम्यक विवेचन एवं विश्लेषण किया है एवं यह पाया है कि विलम्ब का संतोषजनक एवं समुचित कारण नही प्रस्तुत हुआ है। उनका यह निष्कर्ष क्षेत्राधिकारयुक्त एवं विधिसम्मत है जिसे इस निगरानी में पुनरीक्षित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि विद्वान तहसीलदार का पुनर्स्थापन सम्बन्धी आदेश एक अर्न्तवर्ती आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य नही है का जंहा तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार होने के स्थिति में एतद सम्बन्धी आदेश निर्णायक हो जाता है जो कि धारा–219 भू0रा0अधि0 के प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारित मामले (case decided) की श्रेणी में आता है क्योंकि प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की दशा में पारित नामान्तरण आदेश अपास्त होता है एवं प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने में नामान्तरण आदेश अन्तिम हो जाता है एवं निस्तारित मामले में निगरानी धारा–219 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत ग्राह्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **27–04–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)